भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 25B/16-17

घासीराम महतो बनाम विजय कुमार

:: आदेश ::

13/6/17 अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी सरायकेला का पत्रांक 93 दिनांक 30.01.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0-25B/16-17 से जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में घासीराम महतो, पिता-स्व0 शुकु महतो, ग्राम- मानिकबाजार, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु श्री विजय कुमार, पिता- शंकर महतो, ग्राम-मधुपुर, थाना- सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर की धारा46(1) **B** के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। क्रेता के निवास के संबंध मे आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

:: भूमि का विवरण::

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मानिकबाजार	286	105	537/A	0.05 ए0

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। अंचल अधिकारी सरायकेला द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक के हिस्से मे लगभग 2.1666 एकड़ जमीन है। जिसमें से 0.05 एकड़ विक्री करने के पश्चात 2.11666 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता अपने दखल कब्जा भूमि को विक्री करना चाहते है। प्रतिवेदनानुसार विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जिला के रहने वाले है। विक्रेता एवं क्रेता की जाति महतो (कुर्मी) है, जो पिछड़ा वर्ग में आते है।

उपयुक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक मे उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.05 एकड़ भूमि विक्री करने की अनुमति दी जाती है।

13/6/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।